उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार, 02 पौष, शक संवत्, 1942

(दिनांक : 23 दिसम्बर, 2020)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)

2. निधन के निदेश।

3. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

4. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम डाडा जलालपुर पो0 हल्लूमाजरा में आन्तरिक गलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री अजय कुमार पुत्र श्री समय सिंह, ग्राम डाडा जलालपुर, पो0 हल्लूमाजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

5. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम बालेकी यूसूफपुर पो0 नन्हेड़ा में कब्रिस्तान की चारदीवारी कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री दाऊद पुत्र श्री अलीशेर, ग्राम बालेकी यूसूफपुर पो0 नन्हेड़ा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

6. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा "जनपद हरिद्वार के ग्राम हसनपुर मदनपुर में मंदिर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में" श्री मनोज पुत्र श्री सत्यपाल, ग्राम हसनपुर, पो0 खास जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

7. श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा "जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत ग्राम अठाली के पौंरा सेरा में पम्पिंग सिंचाई योजना का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री केदार सिंह पुत्र श्री निहाल सिंह, ग्राम अठाली, विकास खण्ड भटवाड़ी, जनपद उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

9. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

10. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

11. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

    (कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"ख"**)

12. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

13. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

14. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाय।

15. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

16. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाय।

17. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

18. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया जाय।

19. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

20. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक, 2020 को पारित किया जाय।

21. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर मूलरूप में यथावत् विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

22. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पारित किया गया था और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, को मूलरूप में यथावत् पारित किया जाय।

23. निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :-

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन/नियमित किया जाय"।

2. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब — "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि "प्रदेश में प्रतिस्पर्धात्मक समरूपता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि माननीय सदस्यों, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में ही सुनिश्चित की जाय, जहाँ पर यह कार्यरत हैं।

24. निम्नलिखित 105 के प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण :-

1. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब "यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में खाली पड़ी सरकारी व असरकारी/लावारिस भूमि को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन गरीब लोगों को विधिवत आवंटित किया जायें, जिससे गरीब अपने परिवार का पालन-पोषण भी कर सकें, और पहाड़ से पलायन भी रोका जा सके।"

2. श्री प्रीतम सिंह पंवार "यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना निर्माण से प्रभावित काश्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाय"।

25. नियम-54 की निम्न सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण :-

1. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) जो केन्द्र की विशेष अनुदान से संचालित होती है। उक्त योजनाओं को पारदर्शी एवं जबाबदेह बनाने के लिए तेलंगाना राज्य की भांति अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) को अधिनियमित किया जाये। ताकि प्रतिवर्ष केन्द्र द्वारा दी जाने वाली विशेष अनुदान से संचालित योजनाओं की समीक्षा कर विभाग की जबाब देही तय की जा सके।"

2. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब "सदियों से सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर गैर बराबरी का दंश झेल रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गो के बच्चों के लिए उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय/सैनिक स्कूल की तर्ज पर एक-एक आवासीय विद्यालय बनायें जायें, ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गो के बच्चों को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद-21 के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ गुणवक्तायुक्त शिक्षा का अधिकार हासिल हो सके।"

3. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब "राज्य में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार बनाने के लिए राज्य में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी मेडिकल कालेजों से चिकित्सा उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टरों को निर्धारित समय के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करने के लिए अनुबंधित किया जाये।"

4. श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब "उत्तराखण्ड राज्य में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत देय मजदूरी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय के अनुसार निर्धारित की जाये ताकि मनरेगा उत्तराखण्ड में ग्रामीण विकास में मील का पत्थर सिद्व हो सके।"

26. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

27. ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत पं0 गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर को पर्याप्त बजट दिलाये जाने के सम्बन्ध में, श्री राजेश शुक्ला, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को दी गई सूचना पर, कृषि मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

28. विधान सभा थराली के विकास खण्ड देवाल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत फल्दियागांव में दिनांक 08 अगस्त, 2019 को आई भीषण आपदा से प्रभावित परिवारों के विस्थापन तथा आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आपदा कार्यो में तेजी लाने के सम्बन्ध में, श्रीमती मुन्नी देवी शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

(मुकेश सिंघल)
सचिव (प्रभारी)।

देहरादून :
दिनांक : 22 दिसम्बर, 2020

तृतीय सत्र, 2020
का प्रथम बुधवार

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार, 02 पौष, शक संवत्, 1942
(दिनांक : 23 दिसम्बर, 2020)

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह पंवार
11.11.2020

स्थगित।

*1. क्या पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लॉकडाउन अवधि में एक बार में इस्तेमाल होने वाले फेस मास्क, ग्लब्ज, हैण्डसैनिटाइजर की बोतल और पॉलीथीन की थैलियों से सैकड़ों टन खतरनाक कचरा पैदा हुआ है ? इस कचरे का रिसाइकल नहीं हो सकता है? क्या यह सत्य है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के कचरा निस्तारण में लगे लोगों का कोरोना वायरस की जद में आने का जोखिम बना हुआ है? क्या सरकार प्रदेश में समय की मांग को दृष्टिगत रखते हुए कचरों के निपटान के लिए सुविचारित, समन्वित और दोषरहित नीति बनाकर कचरा निपटान करा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण

श्री प्रीतम सिंह पंवार
11.11.2020

द्वितीय बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 06 में स्थानान्तरित।

*2. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जनपदवार कुल कितने परिवार आतिथि तक आवास विहीन हैं ? क्या यह सत्य है कि अभी भी राज्य में हजारों परिवार आवास विहीन हैं तथा कच्चे घरों में अध्यासित हैं? क्या यह भी सत्य है कि पूर्व में सरकार द्वारा कराये गये आवास सम्बन्धी सर्वेक्षण में भारी त्रुटियां/कमियां रह जाने के कारण हजारों ऐसे परिवारों का नाम आवास चयन प्रक्रिया में चयन नहीं हो पा रहा है? क्या सरकार ऐसे परिवारों का पुनः सर्वेक्षण कराकर पात्रता श्रेणी में लाकर आवास आवंटन करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

आवास

श्री मनोज रावत 11.11.2020	*3. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड निर्माण कार्यों के लिए श्रम विभाग के नियमों के विपरीत एक एन0जी0ओ0 को धन आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार नियम विरूद्ध व निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु इस प्रकार श्रमिकों के धन का दुरूपयोग करने की उच्च्य स्तरीय जांच करा कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	श्रम
श्री मनोज रावत 11.11.2020	*4. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निर्माण कार्यों हेतु भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में कितने श्रमिक पंजीकृत है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पंजीकृत महिलाओं एवं पुरूषों को साईकिलें व सिलाई मशीन आदि वितरण में चयन का क्या आधार है और इसमें प्रतिवर्ष कितना व्यय आता है ? क्या सामान क्रय में टेंडर प्रक्रिया का पालन किया जाता है ? क्या सभी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों से एक–एक प्रतिनिधि को सम्मिलित कर कमेटी का गठन किया गया है ? यदि हां, तो कौन–कौन सी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	श्रम
श्री मनोज रावत 11.11.2020	**स्थगित।** *5. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने श्रमिक करोना महामारी से प्रभावित होकर बेरोजगार हुए है ? उनके रोजगार सृजन के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि करोना काल में कितने प्रवासी श्रमिक उत्तराखण्ड आए हैं और सरकार ने उनकी जीविका की क्या व्यवस्था की है ? क्या सरकार इनके जीवन यापन हेतु रू0 दस हजार मासिक खर्च प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	श्रम
श्रीमती ममता राकेश 19.11.2020	*6. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्रों में कितने–कितने श्रमिक पंजीकृत हैं तथा इनकी चिकित्सा सुविधा हेतु कितने ई0एस0आई0 अस्पताल है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि देहरादून व हरिद्वार में प्रस्तावित अस्पतालों का निर्माण न होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार इन अस्पतालों का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	श्रम
श्रीमती ममता राकेश 20.11.2020	*7. क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में स्थित सत्यम कम्पनी में लगभग दो वर्ष पूर्व 300 श्रमिकों को बिना कारण बाहर निकाल दिया गया था? क्या सरकार उक्त श्रमिकों की समस्याओं का समाधान कर इन्हें न्याय प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	श्रम

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 23.11.2020	**स्थगित।** *8. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य सरकार द्वारा सफाई कर्मियों को पर्यावरण मित्र के नाम से सम्बोधित किया जाता है और डॉक्टरों को कोरोना वॉरीयर के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सफाई कर्मचारियों के पदों को शासन द्वारा समाप्त कर दिया गया है और सफाई का कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इनकी सेवाओं को देखते हुए इन पदों को पुनर्जीवित कर तत्काल इन्हें नियुक्ति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	शहरी विकास
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 23.11.2020	*9. क्या आयुष मंत्री अवगत हैं कि राज्य में आयुष के क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं हैं ? क्या राज्य सरकार द्वारा आयुष के क्षेत्र को राज्य में विकसित करने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?	आयुष
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 24.11.2020	*10. क्या वन एवं वन्य जीव मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से अब तक वन पंचायतों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस वित्तीय सहायता में कितनी धनराशि वृक्षारोपण के लिए प्रदान की गई ? क्या इस धनराशि से प्रदेश में नया वृक्ष आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो व्यय की गई धनराशि का अपेक्षित परिणाम न प्राप्त होने के क्या कारण है ?	वन एवं वन्य जीव
श्री प्रीतम सिंह पंवार 25.11.2020	*11. क्या वन एवं वन्य जीव मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में ईको–टूरिज्म की अपार सम्भावनायें हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि राज्य में वर्ष 2017–18, 2018–19 व 2019–20 में ईको–टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन–कौन से कार्य किए गये व वित्तीय वर्षो में कुल कितनी धनराशि का व्यय किया गया? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ईको–टूरिज्म ग्राम कौन–कौन से घोषित किए गये और सरकार द्वारा इन ईको–टूरिज्म–विलेज में क्या–क्या कार्य अब तक कराये गये? यदि नहीं, तो क्यों?	वन एवं वन्य जीव
श्री चन्दन राम दास 02.12.2020	*12. क्या कौशल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में रोजगार परक शिक्षा के लिए संचालित आई0टी0आई संस्थानों को प्रदेश सरकार ने बन्द करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कौन–कौन से संस्थान इसमें शामिल हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन आई0टी0आई0 के नाम स्थानीय लोगों ने भूमि दान दे दी हो तथा कार्यदायी संस्था को भवन निर्माण हेतु धनराशि दे दी हो तथा पर्याप्त छात्र संख्या भी हो तो ऐसे आई0टी0आई0 यथा कटपुड़ियाछीना आई0टी0टाई0 को बन्द करने का क्या औचित्य है ?	कौशल विकास

स्थगित अतारांकित प्रश्न

श्रीमती ममता राकेश 27.01.2020	**स्थगित।** 1. विधान सभा के द्वितीय सत्र 2019 के दिनांक 10.12.2019 के उपवेशन में मेरे द्वारा नियम–51 में उठाई गई चर्चा के क्रम में शहरी विकास मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर में कहा गया है कि दिनांक 28.05.2019 द्वारा उप जिलाधिकारी, भगवानपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि समिति द्वारा की गई संस्तुति पर की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्या है ?	शहरी विकास
श्री धन सिंह नेगी 06.02.2020	**द्वितीय सोमवार के स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 01 में स्थानान्तरित** 2. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि नगर पालिका क्षेत्र में स्थानीय निकाय सीवर लाईन का निर्माण करते है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में टिहरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, नई टिहरी व चम्बा में सीवर लाईन की स्थिति क्या है? क्या यह भी सत्य है कि शहरी विकास विभाग नगर पालिका क्षेत्रों में सीवर समस्या के समाधान के लिए अवस्थापना विकास का कार्य करती है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, टिहरी के नगर पालिका परिषद नई टिहरी के एम.ब्लॉक, ढुगीधार व निर्बल वर्ग आश्रम की सीवर लाईन को एस0टी0पी0 लाईन से जोड़ने की कार्यवाही करने का कार्य करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?	शहरी विकास
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 29.07.2020	**द्वितीय सोमवार के स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 02 में स्थानान्तरित** 3. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से लेकर अब तक सीवर/सैप्टिक टैंकों में सफाई आदि का कार्य करते हुए कितने लोगों की मौत हो चुकी है? क्या यह सत्य है कि मृतकों के आश्रितों को यथाशीघ्र 10 लाख रूपये मुआवजा दिये जाने का प्राविधान है ? क्या यह मुआवजा सभी पीड़ितों को दे दिया गया है? यदि हां, तो उनका विवरण क्या हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 29.07.2020	**द्वितीय सोमवार के स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 03 में स्थानान्तरित** 4. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सीवर/टैंक सफाई आदि कामों को आधुनिक तकनीक से किया जा रहा है? यदि हां, तो जनपद हरिद्वार में सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में नई आधुनिक मशीनें लगा दी गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास

श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 29.07.2020	**द्वितीय बुधवार के स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 01 में स्थानान्तरित** 5. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार शहर में बसों एवं ट्रकों के बढ़ते दबाव के कारण मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रहती है जिस कारण जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के निदान हेतु हरिद्वार के बाहरी क्षेत्र में ट्रक एवं बस पार्किंग बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास
श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब 29.07.2020	6. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार स्थित हरकी पैड़ी में संत शिरोमणी गुरू रविदास मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों ?	शहरी विकास

अतारांकित प्रश्न

श्री धन सिंह नेगी 09.11.2020	1. क्या कौशल विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य में कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त योजना से कितने प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं तथा उनमें प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों की संख्या कितनी है तथा उस पर अभी तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?	कौशल विकास
श्री धन सिंह नेगी 09.11.2020	2. क्या आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राज्य में आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों की भर्तियां की गयी हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अभी तक कितने फार्मासिस्टों की नियुक्तियां की गयी हैं तथा वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	आयुष एवं आयुष शिक्षा
श्री प्रीतम सिंह पंवार 11.11.2020	**द्वितीय बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 14 में स्थानान्तरित।** 3. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नगर निगमों/नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों में आवास योजना से आतिथि तक कुल कितने आवास विहीन परिवार हैं ? क्या सरकार द्वारा निकायों में ऐसे परिवारों के साथ–साथ झुग्गी–झोपड़ियों/स्ट्रीट लाइट में निवास करने वाले लोगों को आवास आवंटन कर पुनर्वासित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	आवास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 11.11.2020	4. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु सरकार द्वारा क्या–क्या उपाय किए जा रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि ठोस अपशिष्ट निवारण के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण पर्यावरण दिन–प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है ? क्या यह भी सत्य है कि ठोस अपशिष्ट को नदी–नालों में बहाये जाने से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में ठोस कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	शहरी विकास

श्री धन सिंह नेगी 12.11.2020	5. क्या आयुष मंत्री अवगत हैं कि राज्य में आयुष मिशन संचालित है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि आयुष मिशन के तहत कितनी योजनाओं पर प्रदेश में कार्य चल रहा है तथा उनका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	आयुष
श्री धन सिंह नेगी 16.11.2020	6. क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि राज्य में भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में श्रमिकों के पंजीयन कराने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित है? यदि नहीं, तो क्यों ?	श्रम
श्री धन सिंह नेगी 16.11.2020	7. क्य श्रम मंत्री अवगत हैं कि राज्य में भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गठित है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त बोर्ड द्वारा वर्ष 2017 से 2020 तक कुल कितनी धनराशि श्रमिकों के हितों पर व्यय की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?	श्रम
श्री प्रीतम सिंह पंवार 18.11.2020	8. क्या वन एवं वन्यजीव मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ट्री लाईन तथा स्नो लाईन के बीच में पाये जाने वाले क्षेत्र बुग्यालों में उच्च मेडिसिनल मूल्य की महत्वपूर्ण अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि इन बुग्यालों मे संरक्षण एवं सम्बर्द्धन के लिए क्या–क्या कार्य किये गये हैं ? क्या सरकार वर्ष 2017–18 से आतिथि तक किये गये कार्यों व उन कार्यों पर किए गये व्यय, कार्य की प्रगति, स्थिति का विवरण उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	वन एवं वन्य जीव
श्री प्रीतम सिंह पंवार 18.11.2020	**प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 23 में स्थानान्तरित।** 9. क्या आयुष मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में प्राकृतिक औषधिजन्य जड़ी–बूटियों के उत्पादन के लिए कृषकों को क्या–क्या सुविधायें प्रदान की जा रही है? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में वर्ष 2017–18 से अब तक कुल कितने कृषकों को योजना से लाभान्वित किया गया और कौन–कौन सी जड़ी–बूटियों का उत्पादन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	आयुष
श्री प्रीतम सिंह पंवार 18.11.2020	10. क्या वन एवं वन्यजीव मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों पर दबाव में अत्यधिक वृद्धि हुई है? क्या सरकार बतायेगी कि वनों पर दबाब में हो रही वृद्धि को रोकने अथवा कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या–क्या योजनायें चलायी गई हैं, वह कार्य योजना क्या है, और उसके क्रियान्वयन से क्या बेहतर परिणाम निकले हैं ? यदि नहीं, तो क्यों?	वन एवं वन्य जीव
श्री प्रीतम सिंह पंवार 18.11.2020	11. क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वायु प्रदूषण के गुणवता मानक सूचकांक स्टैण्डर्ड वार्षिक मानक तैयार कराया जाता है? क्या यह सत्य है कि प्रदेश में वायु प्रदूषण की स्थिति दिन–प्रतिदिन बद से बदत्तर होती जा रही है? सरकार द्वारा स्टैण्डर्ड वार्षिक मानक में वृद्धि को रोकने अथवा सम बनाये रखने के क्या–क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण

श्री प्रीतम सिंह पंवार 18.11.2020	12. क्या वन एवं वन्यजीव मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में बकरलिप कन्जरवेशन एण्ड रूरल लाइवलीहुड इम्प्रूवमेन्ट योजना (बकरलिप) परियोजना के अन्तर्गत कुल कितने गांवों को आच्छादित किया गया? क्या सरकार बतायेगी कि परियोजना से आच्छादित गांवों में क्या–क्या कार्य करवाये गये और इन गांवों में कार्यों के सापेक्ष कुल कितनी धनराशि का व्यय किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस परियोजना से आच्छादित गांवों के ग्रामीणों के आजीविका सुधार कार्य किए गये तथा जैव विविधता संरक्षण के कार्य किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?	वन एवं वन्य जीव
श्री प्रीतम सिंह पंवार 25.11.2020	**द्वितीय गुरूवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 06 में स्थानान्तरित।** 13. क्या पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के गांवों में आधुनिक व वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की कोई योजना गतिमान है? क्या सरकार बतायेगी कि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों हेतु ग्राम पंचायतों को राजकीय अनुदान/सहायता दी जा रही है? यदि हां, तो उसके जनसंख्या मानक क्या हैं और कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है? यदि नही, तो क्यों?	पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण
श्री प्रीतम सिंह पंवार 25.11.2020	14. क्या वन एवं वन्य जीव मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वन्य जीवों को मारने तथा उनके अंगों, मांस तथा दुर्लभ खालों के विक्रय पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कोई पृथक तन्त्र विकसित किया गया है? क्या सरकार बतायेगी की पिछले तीन वर्षों में ऐसे कुल कितने प्रकरण घटित हुए और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?	वन एवं वन्य जीव
श्री प्रीतम सिंह पंवार 25.11.2020	**द्वितीय सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 50 में स्थानान्तरित।** 15. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने ऐसे आवेदक हैं जिनके आवास निर्माण सम्बन्धी आवेदन पत्र वित्तीय स्वीकृति की प्रत्यशा में शासन स्तर पर लम्बित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपदवार विविध आवास सम्बन्धी आवेदन पत्र आतिथि तक लम्बित है और उन पर कब तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	आवास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 25.11.2020	16. क्या पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित अधिसंख्य ताल भूस्खलन, बाढ़ आदि आपदाओं के कारण अपना नैसर्गिक स्वरूप खो रहे हैं? क्या यह सत्य है कि कई विद्यमान तालों का अस्तित्व खतरे में है? क्या सरकार बतायेगी कि इन तालों के पुनर्निर्माण, संरक्षण के लिए किसी योजना पर कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो वह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?	पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण

श्री धन सिंह नेगी 01.12.2020	17. क्या कौशल विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य में कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजना में जनपदवार वर्ष 2019–20 व 2020–21 में कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है तथा उस पर व्यय धनराशि का जनपदवार विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कौशल विकास
श्री चन्दन राम दास 01.12.2020	18. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बागेश्वर में नगर क्षेत्र की सीवर लाईन की योजना मा0 मुख्यमंत्री घोषणा व ए0डी0बी0 फेज 2 में है ? यदि हां, तो इसके निर्माण के लिए सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	शहरी विकास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 04.12.2020	**द्वितीय बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 13 में स्थानान्तरित।** 19. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) शिकायतों के निस्तारण की कोई समय सीमा निश्चित की गई है ? क्या यह सत्य है कि रेरा गठन से लेकर आतिथि तक दर्ज शिकायतों का समय–सीमा अन्तर्गत निस्तारण न होने से सम्बन्धित पक्षकारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सकरार रेरा एक्ट में शिकायतों के निस्तारण सम्बन्धी प्रावधान के अनुसार प्राप्त शिकायतों का शीघ्र समयान्तर्गत निस्तारण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	शहरी विकास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 04.12.2020	20. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कोरोना के चलते बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर हुए फेरी–फड़ वालों को 'आत्मनिर्भर भारत' योजना के तहत ऋण/अनुदान दिया जा रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि शहरी क्षेत्रों में लोन मेलों का आयोजन किया गया था ? यदि हां, तो इस योजना के तहत आयोजित मेलों में पूरे प्रदेश में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे और आतिथि तक कुल कितने बेरोजगार फेरी–फड़ वालों को भरण/अनुदान का वितरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?	शहरी विकास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 04.12.2020	**द्वितीय बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 15 में स्थानान्तरित।** 21. क्या पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के छोटे बड़े शहरों में ठोस अपशिष्ट निवारण के लिए क्या–क्या आवश्यक उपाय किए गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि आज भी कई छोटे–छोटे शहरों/कस्बों में ठोस अपशिष्ट निवारण हेतु आवश्यक उपाय न होने के कारण पर्यावरण पर भारी कुप्रभाव पड़ रहा है ? क्या सरकार सभी स्थानों में ठोस अपशिष्ट निवारण के लिए कोई कारगर योजना बनाने जा रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण

नत्थी "ख"

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 की बैठक में दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

23 दिसम्बर, 2020

विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार एवं पारण (10 **मिनट**)
2. उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार एवं पारण (10 **मिनट**)
3. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार एवं पारण (10 **मिनट**)
4. उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक, 2020 पर विचार एवं पारण (10 **मिनट**)
5. हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 को पारित किया गया था और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है पर विचार एवं पारण (10 **मिनट**)

असरकारी कार्यः-

निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :-

1. **श्री प्रीतम सिंह पंवार,** "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन/नियमित किया जाय"।

2. **श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब,** "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि "प्रदेश में प्रतिस्पर्धात्मक समरूपता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक हे कि माननीय सदस्यों, सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में ही सुनिश्चित की जाय, जहा पर यह कार्यरत है।

निम्नलिखित 105 के प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण :-

1. **श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब,** "यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के समस्त पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में खाली पड़ी सरकारी व असरकारी/लावारिस भूमि को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन गरीब लोगों को विधिवत आवंटित किया जायें, जिससे गरीब अपने परिवार का लालन-पोषण भी कर सकें, और पहाड़ से पलायन भी रोका जा सके।"

2. श्री प्रीतम सिंह पंवार, "यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना निर्माण से प्रभावित कास्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद शिकायतों को शीघ्र निस्तारण किया जाय"।

<u>नियम–54 की निम्न सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण :-</u>

1. **श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब,** " अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) जो केन्द्र के विशेष अनुदान से संचालित होती है। उक्त योजनाओं को पारदर्शी एवं जबाबदेह बनाने के लिए तेलंगाना राज्य की भांति अनुसूचित जाति उप योजना (SCSP) एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) को अधिनियमित किया जाये। ताकि प्रतिवर्ष केन्द्र द्वारा दी जाने वाली विशेष अनुदान से संचालित योजनाओं की समीक्षा कर विभाग की जबाब देही तय की जा सके।"

2. **श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब,** "सदियों से सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर गैर बराबरी का दंश झेल रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गो के बच्चों के लिए उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालय/सैनिक स्कूल की तर्ज पर एक-एक आवासीय विद्यालय बनायें जायें, ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गो के बच्चों को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद–21 के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ गुणवक्तायुक्त शिक्षा का अधिकार हॉसिल हो सके।"

3. **श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब,** "राज्य में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार बनाने के लिए राज्य में सभी सरकारी एंव गैर सरकारी मेडिकल कालेजों में बनने वाले डॉक्टरों को निर्धारित समय के लिए सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करने के लिए अनुबंधित किया जाये।"

4. **श्री देशराज कर्णवाल चमार साहब,** " उत्तराखण्ड राज्य में महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत देय मजदूरी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय के अनुसार निर्धारित की जाये। ताकि मनरेगा उत्तराखण्ड में ग्रामीण विकास में मील का पत्थर सिद्व हो सके।"